

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर



म0क0 निगरानी

/2018 जिला-रीवा

निगरानी-3232/2018/रीवा/भ-य

54



- 1-संजीव कुमार पाण्डेय पिता केशव प्रसाद
- 2- बलबसम गौतम विता बृजेन्द्र प्रसाद
- 3-चन्द्रमणि तिवारी पिता मिठाईलाल तिवारी
- 4-इन्द्रमणि तिवारी पिता चन्द्र मणि तिवारी
- 5-बसंतमणि तिवारी पिता चन्द्रमणि तिवारी

न्यायालय के आदेश
दिनांक 8/8/18 के
आदेशानुसार आवेदन
1 व 2 को विरोधित कर
अनावेदन कर 2 व 3 के
कार्य प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 14-5-18 निवेदित।
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

- विरुद्ध
- 1-म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय
जिला-रीवा म0 प्र0.
 - 2- संजीव कुमार पाण्डेय पिता केशव प्रसाद
---अनावेदक
 - 3- बलबसम गौतम पिता बृजेन्द्र प्रसाद

निगरानी आवेदन पत्र म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश दिनांक 14.5.2018 पारित द्वारा कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 02/अ-74/स्व0निगरानी/2017-18.

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1- यह कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के डब्ल्यू0 पी0 क्रमांक 3596/2016 में पारित आदेश दिनांक 14.7.16 द्वारा आदेशित किया है कि the collector shall take action within. period of six months and submit. a report to this court जिसके पालन में कार्यपालन अधिकारी लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा ने पत्र क्रमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-3232/2018/रीवा/भूरा.

जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....^{ग्वालियर}..... रीवा...के प्रकरण क्रमांक ...^{2/8-74/स.प्र.नि.17/18} पारित आदेश दिनांक ...^{14.5.18}... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु ...^{आयुक्त रीवा सं.प्र.नि.}... को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक...^{18.10.19}... को ...^{आयुक्त रीवा सं.प्र.नि.}... के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	